रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012021-224213
CG-DL-E-06012021-224213

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 02] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 5, 2021/पौष 15, 1942
No. 02] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 5, 2021/ PAUSHA 15, 1942

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 01 जनवरी, 2021

सं. एच-22011/2/2014-एसडीई(खण्ड IV)—भारत सरकार की कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदण्डों से संबंधित दिनांक 15.07.2015 की अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014/एसडीई-I के खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से इस प्रयोजन के लिए गठित सामान्य मानदण्ड समिति ने दिनांक 01.11.2020 की अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014/एसडीई-I की अनुसूची के अनुबंध -1 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं नामत: -

1. इन संशोधनों को कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदंड में पांचवां संशोधन, 2021 कहा जाएगा।

संशोधन:

(1) अनुबंध -1 की अनुसूची -1 के खंड 1 में निम्नलिखित उप-खंड 1.2जोड़ा गया है: -

1.2 विभिन्न सेक्टरों के लिए आधार लागत को 01.01.2021 से अनुसूची-I के खंड 1.1 में उल्लिखित राशि के 5% की दर से बढ़ाई गई है, जो अगले 10 पैसे तक पूर्णांकित होगी।

विभिन्न सेक्टरों के लिए मूल लागत दिनांक 01.01.2021 से निम्नानुसारहोगी: -

(i) अनुसूची-II की श्रेणी I में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 49.00 रुपए प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(ii) अनुसूची-II की श्रेणी II में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 42.00 रुपए प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(iii) अनुसूची-II की श्रेणी III में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 35.10 रुपए प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(2) जुटाव लागत के संबंध में अनुबंध-I की अनुसूची-I के खण्ड 1.2 के नीचे निम्नलिखित उप-खण्ड 1.3 और 1.4 जोड़े जाएंगे: -

1.3 जुटाव की लागत जुटाव करने वाली एजेंसी को दी जाएगी। जुटाव की यह लागत प्रशिक्षण लागत का हिस्सा है, और यदि यह प्रशिक्षण भागीदार से अलग किसी एजेंसी को दी जाती है, तो प्रशिक्षण लागत समान राशि के बराबर कम हो जाएगी।

1.4 ऐसे मामलों में जहां प्रशिक्षण लक्ष्य 1,000 से अधिक है, जुटाव लागत 3%होगी और जहां प्रशिक्षण लक्ष्य 1,000 से कम है, वहाँ जुटाव लागत 4%होगी। यदि प्रशिक्षण भागीदार, जुटाई जाने वाली एजेंसी को बैच में ली गई वास्तविक संख्याओं के लिए दी गई लंबी सूची को कम करने में सहायता करता है, तो प्रशिक्षण भागीदार इस 3% में से 1% या 4% जुटाने की लागत प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसा भी मामला हो यानी, जहां जुटाव लागत 3% है, वहाँ वह जुटाव लागत का एक तिहाई प्राप्त करेगा और जहां यह 4% है, वहाँ वह जुटाव लागत का एक-चौथाई प्राप्त करेगा। कुल जुटाव लक्ष्य के एक हिस्से को एक एजेंसी द्वारा और दूसरे द्वारा भाग के मामले में, जुटाव लागत दोनों एजेंसियों के बीच आनुपातिक रूप से साझा की जाएगी।

(3) अनुबंध-1 की अनुसूची-1 के खंड 3 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

3. ठहरने और भोजन की लागत के लिये:

(क) आवासीय प्रशिक्षण, और/या

(ख) उन सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में जहां विशेष क्षेत्रों से आने वाले शिक्षार्थी (जैसा कि अनुसूची-I के खंड 5.1 में परिभाषित किया गया है) को इन विशेष क्षेत्रों के बाहर प्रशिक्षित किए जाते हैं, और/या

(ग) देश में किसी भी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम, जहाँ महिला प्रशिक्षार्थियों और दिव्यांग व्यक्तियों को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र (या विशेष क्षेत्रों के मामले में 40 किलोमीटर) पहुँचने के लिए अपने घरों से 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है और जो उनके लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत भोजन और ठहरने की सुविधा का लाभ उठाते हैं।

मंत्रालय प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन ठहरने और भोजन की लागत की अधिकतमप्रतिपूर्ति निम्नलिखित तालिका के अनुसार करेंगे:

एक्स श्रेणी के शहरों/नगरों में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन	375/- रुपए
वाई श्रेणी के शहरों/नगरों में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन	315/-रुपए
ज़ेड श्रेणी के शहरों/नगरों में प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन	250/-रुपए
ग्रामीण क्षेत्र और अन्य क्षेत्र, जिन्हें नगर पालिका/नगर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।	220/-रुपए

(शहरों की श्रेणियों की सूची अनुसूची-III पर दी गई है)

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2021

No. H-22011/2/2014-SDE (Vol. IV): In exercise of the powers conferred by Clause 4 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 concerning Common Norms for Skill Development Schemes of the Government of India, the Common Norms Committee constituted for the purpose makes the following changes further to amend the Schedules of Annexure-1 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE (Vol.IV) dated 11.11.2020, namely:-

1. These amendments may be called Common Norms for Skill Development Schemes Fifth Amendment, 2021.

Amendments:

(1) The following sub-clause 1.2 is added to Clause 1 of SCHEDULE-I of Annexure-1:-

1.2 The base cost for different sectors is increased at 5%, rounded off to the next 10 paisa, of the amounts mentioned in Clause 1.1 of SCHEDULE-I with effect from **01.01.2021**

The base cost for the different sectors will be as under with effect from **01.01.2021**:-

(i) Rs. 49.00 per hour of training for trades/sectors listed in Category I of **SCHEDULE-II.**
(ii) Rs. 42.00 per hour of training for trades/sectors listed in Category II of **SCHEDULE-II**.
(iii) Rs. 35.10 per hour of training for trades/sectors listed in Category III of **SCHEDULE-II.**

(2) The following sub-clauses 1.3 and 1.4 shall be added below clause 1.2 of SCHEDULE-I of Annexure-1 regarding mobilization cost, namely:-

1.3 Cost of mobilization will be given to the agency undertaking mobilization activity. This mobilization cost is part of the training cost, and in case it is given to an agency different from the Training Partner, then the training cost would reduce by an equivalent amount.

1.4 In cases where training target is greater than 1,000, 3% will be the mobilization cost and where training target is less than 1,000, 4% will be the mobilization cost. If the Training Partner assists the mobilizing agency in reducing a long list given by the mobilization agency to the actual numbers taken in the batch, then the Training Partner will be entitled to receive 1% out of this 3% or 4% mobilization cost, as the case may be. That is, where the mobilization cost is 3%, it will receive one-third of the mobilization cost and where it is 4%, it will receive one-fourth of the mobilization cost. In case part of the total mobilization target is done by one agency and part by another, the mobilization cost would be shared proportionately between the two agencies.

(3) For clause 3 of SCHEDULE-I of Annexure-1, the following shall be substituted:

3. Boarding and Lodging Costs
For:

(a) Residential training, and/or
(b) In respect of all skill development training programmes where trainees from Special Areas (as defined in clause 5.1 of SCHEDULE-I) are trained outside these Special Areas, and/or

(c) Training programmes, anywhere in the country where women trainees and Persons with Disabilities have to travel more than 80 kms from their homes to reach the nearest training centre (or 40 kms in case of Special Areas) and who are availing of boarding and lodging arrangements made for them.

Ministries will reimburse Boarding & Lodging Costs up to a maximum per trainee per day as per table below:

i.	X Category Cities/ Town per day per Trainee	Rs.375/-
ii.	Y Category Cities/Town per day per Trainee	Rs.315/-
iii.	Z Category Cities/Town per day per Trainee	Rs.250/-
iv.	Rural Areas and any Area not notified as a municipal/town area	Rs.220/-

(The List of categories of cities is given at SCHEDULE-III)

SHAKIL ALAM, Economic Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122020-223548
CG-DL-E-07122020-223548

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942
No. 349] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवंबर, 2020

फा.सं. एच-22011/2/2014-एसडीई (खंड-IV).—भारत सरकार की कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदंडों से संबंधित दिनांक 15.07.2015 की अधिसूचना सं. एच-22011/2/2014-एसडीई-। के खंड-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से इस प्रयोजन के लिए गठित सामान्य मानदंड समिति ने दिनांक 15.07.2015 की अधिसूचना संख्या एच-22011/2/2014-एसडीई-। की अनुसूची जिसके बाद दिनांक 20.05.2016, 28.02.2017 और 31.12.2018 को संशोधन किए थे, के अनुबंध-। में आगे संशोधन किए हैं, नामत:

1. इन संशोधनों को कौशल विकास स्कीमों के लिए सामान्य मानदंड में चौथा संशोधन, 2020 कहा जाएगा तथा 11 नवंबर, 2020 से प्रभावी किया जा सकता है।

संशोधन:

अनुसूची-।

1. मूल लागत

1.1 विभिन्न सेक्टरों के लिए मूल लागत 01.04.2019 से निम्न प्रकार होगी:-

(i) **अनुसूची-।।** की श्रेणी । में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 46.70 रु. प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(ii) **अनुसूची-।।** की श्रेणी ।। में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 40 रु. प्रति घंटा प्रशिक्षण।

(iii) **अनुसूची-।।** की श्रेणी ।।। में सूचीबद्ध ट्रेडों/सेक्टरों के लिए 33.40 रु. प्रति घंटा प्रशिक्षण।

लागत 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की आवधिक वृद्धि के अधीन होगी अथवा जैसा "सामान्य मानदंड समिति" द्वारा निर्णय किया जाए परंतु किन्हीं दो संशोधनों के बीच न्यूनतम अवधि 6 महीने की होगी।

2. परिवहन लागत

2.1 अनुसूची-। के खंड 5.1 में यथा उल्लेखित विशेष क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए तथा ऐसे विशेष क्षेत्रों के जिले से बाहर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे दिव्यांगों हेतु आने-जाने का वास्तिवक परिवहन व्यय, जो अधिकतम 5000/- रु. प्रति प्रशिक्षार्थी देय होगा।

3. ठहरने और भोजन की लागत निम्नलिखित के लिए:

क) आवासीय प्रशिक्षण और/या

ख) उन सभी कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामलों में जहाँ विशेष क्षेत्र से आने वाले प्रशिक्षार्थी (इसमें यहां यथा परिभाषित) इन विशेष क्षेत्रों से बाहर प्रशिक्षित किए जाते हैं और/ अथवा

ग) देश में किसी भी जगह प्रशिक्षण कार्यक्रम जहाँ महिला प्रशिक्षार्थियों को निकटतम प्रशिक्षण केंद्र तक पहुंचने के लिए अपने घरों से 80 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ती है और जो उनके लिए की गई व्यवस्था के अंतर्गत भोजन आवास की सुविधा उठाते हैं।

मंत्रालय निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रति प्रशिक्षार्थी प्रतिदिन अधिकतम भोजन आवास लागत की प्रतिपूर्ति करेंगे:

i. एक्स श्रेणी वाले शहर/कस्बा-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी	375/- रुपए
ii. वाई श्रेणी वाले शहर/कस्बा-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी	315/- रुपए
iii. जेड श्रेणी वाले शहर/कस्बा-प्रतिदिन प्रति प्रशिक्षार्थी	250/- रुपए
iv. ग्रामीण क्षेत्र और कोई भी क्षेत्र जिसे म्युनिसिपल/कस्बा क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है	220/- रुपए

(शहरों की श्रेणियों की सूची **अनुसूची-।।।** में दी गई है)

4. तृतीय पक्ष प्रमाणन और मूल्यांकन लागत:

4.1 प्रशिक्षित उम्मीदवारों का स्वतंत्र और पक्षपात रहित मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन और मूल्यांकन की लागत, मूल्यांकन और प्रमाणन करने के लिए प्राधिकृत किसी स्वतंत्र तृतीय पक्ष को देय होगी। यह राशि मूल लागत के अलावा होगी और प्रति उम्मीदवार 600/- रु. से 1500/- रु. की रेन्ज में होगी, जैसा अलग-अलग मंत्रालय/विभाग निर्णय लें।

5. विशेष क्षेत्र/समूहों के लिए अतिरिक्त सहायता

5.1 विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण: मूल लागत की अतिरिक्त लागत की अनुमति पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और वामपंथी उग्रवाद (एल०डब्लू०ई०) द्वारा प्रभावित जिलों, जैसा गृह मंत्रालय द्वारा समेकित कार्य योजना के लिए अभिनिर्धारित (जिसे इसमें यहां "विशेष क्षेत्र" के रूप में संदर्भित है) किया गया है, में चलाए गए कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए मूल लागत की 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि दी जाएगी।

5.2 गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के सभी व्यक्तियों, दिव्यांगों और महिला उम्मीदवारों को "विशेष समूह" कहा जाएगा है। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपने कार्यक्रमों के अंतर्गत ऐसे समूहों को सुविधा प्रदान करने के लिए "विशेष समूह" के रूप में किसी लक्षित समूह को शामिल कर सकता है। गैर आवासीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद और प्रमाणन होने के बाद विशेष समूहों को प्रशिक्षण केंद्र से आने-जाने के लिए यात्रा में उठाए गए खर्च की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित दर पर की जाएगी:

(i) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के व्यक्तियों और महिला उम्मीदवारों को निम्नलिखित दरों पर:-

प्रति माह वाहन लागत की प्रतिपूर्ति	राशि (रु. में)
1) निवास के जिले के अंदर प्रशिक्षण केंद्र	1000/-
2) निवास के जिले के बाहर प्रशिक्षण केंद्र	1500/-

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के लिए:

संबंधित मंत्रालय/विभाग की स्कीम में निर्धारित किए गए अनुसार एक मुश्त भुगतान।

5.3 वेतन रोजगार के लिए विशेष क्षेत्रों/समूहों के लिए तैनाती पश्चात सहायता: वेतन रोजगार के अंतर्गत अपने रोजगारों/व्यवसायों में स्थापित करने के लिए विशेष क्षेत्रों/समूहों नए कौशल प्राप्त व्यक्तियों को समर्थ बनाने के लिए तैनाती पश्चात सहायता प्रति माह 1500/-रु. की दर से उम्मीदवार को सीधे निम्नलिखित अवधि के लिए दी जाएगी:

तैनाती पश्चात सहायता @ प्रति माह 1500/- रु. की दर से	पुरूष	महिला
1) निवास के जिले के अंदर तैनाती	1 महीना	2 महीना
2) निवास के जिले के बाहर तैनाती	2 महीना	3 महीना

परंतु दिव्यांग व्यक्तियों को तैनाती पश्चात सहायता प्रति माह 3000 रुपए की दर से निम्नानुसार प्रदान की जाएगी:-

तैनाती पश्चात सहायता @ प्रति माह 3000/- रु. की दर से	पुरूष/ महिला
1) निवास के जिले के अंदर तैनाती	2 महीना
2) निवास के जिले के बाहर तैनाती	3 महीना
3) निवास के राज्य के बाहर तैनाती	6 महीना

बशर्ते कि तैनाती प्रमाणन के तीन माह के भीतर की गई हो और तैनाती के पश्चात सत्यापन किया गया हो।

5.4 दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए प्रशिक्षण: दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सहायता निम्नानुसार होगी:-

(i) शारीरिक रूप से अक्षम/दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मूल लागत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत।

(ii) दृष्टिबाधित/श्रवण शून्य व्यक्तियों के लिए मूल लागत के अतिरिक्त 20 प्रतिशत।

(iii) बौद्धिक और सीखने में अक्षम, मानसिक रोग से ग्रसित/मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों को मूल लागत के अतिरिक्त 25 प्रतिशत।

परंतु विशेष क्षेत्रों के दिव्यांग व्यक्तियों के प्रशिक्षण के मामले में खंड 5.4 (i) से (iii) के अंतर्गत उपलब्ध मूल लागत के अतिरिक्त 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि स्वीकार्य होगी। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक मंत्रालय द्वारा पूरा किए गए कुल प्रशिक्षण का न्यूनतम 3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उन ट्रेडों में आरक्षित होगा, जैसा कि दिव्यांग व्यक्ति सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर एमएसडीई द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाए।

5.5 कौशल विकास प्रशिक्षण लेने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूनीफार्म हेतु सहायता संबंधित मंत्रालय/विभाग की स्कीम के विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी।

5.6 दिव्यांग उम्मीदवारों को व्हील चेयर, केलिपर्स, हियरिंग एड जैसे सहायक उपकरण और जावा/अन्य वाचक रूपांतरण जैसे सॉफ्टवेयर, अन्य वाचक सॉफ्टवेयर आदि के लिए प्रति व्यक्ति 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

5.7 जॉब आउटरीच गतिविधियों (जॉब मेलों, नियोजक आउटरीच कार्यक्रम सहित) के लिए प्रति दिव्यांग उम्मीदवार 5000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।

6. विदेश में रोजगार के इच्छुक भारतीयों को प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय मानकों सहित डोमेन प्रशिक्षण की पाठ्यक्रम विषय-वस्तु, भारतीय प्रमाणन अभिकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन में संलग्न अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण केंद्रों को निम्नलिखित प्रदान किया जाएगा:

(i) विदेश में उम्मीदवारों को तैनात करने के लिए प्रशिक्षण भागीदारों को प्रति प्रशिक्षार्थी 10,000 रुपए की दर से प्रोत्साहन।

(ii) 3,500 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी की अनन्तिम दर से आकलन और प्रमाणन लागत। एनएसडीसी को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लागत का पता लगाना होगा।

(iii) श्रेणी-।।। के लिए लागू मूल लागत पर प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण प्रशिक्षण।

अनुसूची-।।

निर्धारित लागत श्रेणी के अनुसार ट्रेडों की सूची

क्र.सं.	**उद्योग/सेक्टर**	**उप-सेक्टर/ट्रेड**		
		श्रेणी-।	**श्रेणी-।।**	**श्रेणी-।।।**
1.	**कृषि**	खेती की मशीनरी, पशुपालन, खेती-यांत्रिकीकरण, परिशुद्ध (प्रिसिशन) कृषि, मत्स्य पालन और संबंधित क्षेत्र	कृषि, वृक्षरोपण, बागवानी, फूलों की खेती, मुर्गी पालन	मधुमक्खी पालन, गृह-सज्जा कला- बोनसाई, फूल, जल प्रपात, लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, प्राकृतिक फाइबर उत्पाद प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन (रेशम कीट पालन, कपास, सन और विविध उत्पाद)
2.	**परिधान**	पोशाक निर्माण, फैशन डिजाइनिंग	पोशाक बनाना	
3	**ऑटोमोटिव**	विनिर्माण, ऑटोमोटिव मरम्मत	ऑटोमोटिव बिक्री	
4.	**सौंदर्य और स्वास्थ्य**		स्पा और स्वास्थ्य, सौंदर्य वर्धन, हेयर ड्रेसिंग, प्राकृतिक चिकित्सा	गृहसाज कला, मेहंदी
5.	**बी०एफ०एस०आई०**			बैंकिंग, लेखाकरण, बीमा

6.	**पूंजीगत माल**	फैब्रिकेशन, विद्युत यांत्रिक		
7.	**रसायन**	रसायनों का विनिर्माण और जैव रसायन प्लास्टिक प्रसंस्करण	सुगंध, स्वाद और इत्र	
8.	**निर्माण**	निर्माण, उपस्कर, फैब्रिकेशन	पेंट, लकड़ी का कार्य, बांस निर्मिति, बढ़ईगीरी	
9.	**शिक्षा और कौशल विकास**		शिक्षा, कौशल विकास	कौशल परामर्श (कौंसिलिंग)
10.	**इलेक्ट्रॉनिक**	इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण रेफ्रीजेरेशन और एयर कंडीशनिंग	उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक, बिक्री और सेवा	
11.	**फास्ट मूविंग उपभोक्ता माल**			फास्ट मूविंग उपभोक्ता माल
12.	**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**	खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र		खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर जैसे दुग्ध उत्पाद, फल, सब्जी उत्पादन, अन्न और अन्न उत्पाद, खाद्यान्न (मिलिंग सहित), खाद्य तेल और वसा, मांस और मांस उत्पाद, मछली और मछली उत्पाद, मिठाई और कन्फेक्शनरी, ब्रेड और बेकरी, स्पाइस और कोडिंमेन्ट, पेय, एरेटेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक, खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग
13.	**फर्नीचर और साज-सज्जा**		फर्नीचर बनाना	
14.	**रत्न और आभूषण**	रत्न और आभूषण विनिर्माण		गृहसाज कला और आभूषण
15.	**ग्रीन कौशल**	नवीकरणीय ऊर्जा		वर्षा जल संचयन, ग्रीन रिटेल, संबद्ध ग्रीन कौशल
16.	**हथकरघा और हस्तशिल्प**	हथकरघा	पीतलकारी, खादी, कारपेट, हस्तशिल्प	हस्त निर्मित कागज और कागज उत्पाद, गृहसाज कला- मिट्टी के बर्तनों की पेंटिंग, गृहसाज काष्ठ

				कला
17.	**स्वास्थ्य देख-रेख**	चिकित्सा और सेवा नर्सिंग- मशीन तकनीशियन	सामुदायिक स्वास्थ्य देख-रेख, स्वास्थ्य देख-रेख, सहायक, निवारक स्वास्थ्य देख-रेख (पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा स्वास्थ्य काउंसिलिंग सहित	संबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख
18.	**इंस्ट्रूमेंटेशन**	प्रक्रिया इंस्ट्रूमेंटेशन		
19.	**लौह और इस्पात**	फाउंडरी (स्पंज लौह सहित)		
20.	**आई०टी०-आई०टी०ई०एस०**		सूचना और संचार प्रौद्योगिकी	
21.	**चमड़ा**	चमड़े के जूते और चमड़े से बने खेल के सामान का निर्माण		
22.	**जीवन विज्ञान**	फार्मास्युटिकलों का विनिर्माण	फार्मास्युटिकलों की बिक्री	
23.	**लॉजिस्टिक**			कुरियर और लॉजिस्टिक
24.	**प्रबंधन**			सामग्री प्रबंधन, व्यापार और वाणिज्य
25.	**विनिर्माण**	उत्पादन और विनिर्माण		
26.	**समुद्री इंजीनियरिंग**	समुद्री इंजीनियरिंग, पोत निर्माण		
27	**मीडिया और मनोरंजन**	एनिमेशन	निर्माण सहायता, मीडिया प्रिंटिंग	फिल्म निर्माण
28	**खनन (माइनिंग)**	खनन (माइनिंग)		
29	**संगीत**	संगीत यंत्र का निर्माण	यंत्र संबंधी संगीत सेवा	
30	**प्लंबिंग**	प्लंबिंग		
31	**बिजली और ऊर्जा**	विद्युत औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन	घरेलू इलेक्ट्रीशियन	
32	**रिटेल**		स्टोर प्रचालन, एफएमसीजी	रिटेल
33	**रबड़**	विनिर्माण	रबड़, नर्सरी/वृक्षारोपण	
34	**सुरक्षा**		सुरक्षा, अग्नि और सुरक्षा इंजीनियरी	

35	**खेल**	खेल के सामान का विनिर्माण	खेल सेवा	
36	**टेलीकाम**	नेटवर्क और अवसंरचना प्रबंधन	टेलीकाम सेवा प्रदाता, हैण्डसेट का विक्रय और सेवा	
37	**वस्त्र (टेक्सटाइल्स)**	कताई, बुनाई, टेक्सटाइल्स, सिलाई और सूती, मानव निर्मित अन्य सिंथेटिक फाइबर का प्रसंस्करण		
38	**पर्यटन और आतिथ्य सत्कार**	खाद्य उत्पाद, कुकिंग	आतिथ्य सत्कार, एफएण्डबी सेवा और हाउसकीपिंग	यात्रा और पर्यटन
39	**पारंपरिक/परंपरागत सेक्टर**	शीशे के बर्तन (ग्लासवेयर)	पेंटिंग और खिलौना बनाना	घड़ी – मरम्मत
40	**अन्य सेक्टर**	ऐसा कोई ट्रेड जो उपर्युक्त किन्हीं श्रेणियों में न आ पाए हों	ऐसा कोई ट्रेड जो उपर्युक्त किन्हीं श्रेणियों में न आ पाए हों	ऐसा कोई ट्रेड जो उपर्युक्त किन्हीं श्रेणियों में न आ पाए हों

अनुसूची-।।।

(1) निम्नलिखित को अनुबंध-। की अनुसूची ।।। में प्रस्तुत किया जाएगा:-

आवासीय प्रशिक्षण लागत के लिए भारतीय शहरों का श्रेणीकरण

क्र.सं.	**राज्य**	**"X" के रूप में वर्गीकृत शहर**	**"Y" के रूप में वर्गीकृत शहर**
1	आंध्र प्रदेश/ तेलंगाना	हैदराबाद (नगर बस्ती)	विजयवाड़ा (नगर बस्ती), वारंगल (नगर बस्ती), ग्रेटर विशाखापट्टनम (नगर निगम), गुंटूर (नगर बस्ती), नेल्लौर (नगर बस्ती)
2	असम		गुवाहाटी (नगर बस्ती)
3	बिहार		पटना (नगर बस्ती)
4	चंडीगढ़		चंडीगढ़ (नगर बस्ती)
5	छत्तीसगढ़		दुर्ग-भिलाई नगर (नगर बस्ती), रायपुर (नगर बस्ती)
6	दिल्ली	दिल्ली (नगर बस्ती)	
7	गुजरात	अहमदाबाद (नगर बस्ती)	राजकोट (नगर बस्ती), जामनगर (नगर बस्ती), भावनगर (नगर बस्ती), बडोदरा (नगर बस्ती), सूरत (नगर बस्ती)
8	हरियाणा		फरीदाबाद (नगर निगम), गुड़गांव (नगर बस्ती)

9	हिमाचल प्रदेश		-
10	जम्मू-कश्मीर		श्रीनगर (नगर बस्ती), जम्मू (नगर बस्ती)
11	झारखण्ड		जमशेदपुर (नगर बस्ती), धनबाद (नगर बस्ती), रांची (नगर बस्ती) बोकारो स्टील सिटी (नगर बस्ती)
12	कर्नाटक	बेंगलूरू (नगर बस्ती)	बेलगाम (नगर बस्ती), हुबली-धारवाड़, (नगर निगम), मंगलौर (नगर बस्ती), मैसूर (नगर बस्ती) और गुलबर्गा (नगर बस्ती)
13	केरल		कोझीकोड (नगर बस्ती), कोच्चि (नगर बस्ती), तिरूवनंतपुरम (नगर बस्ती), त्रिसूर (नगर बस्ती), मल्लपुरम (नगर बस्ती), कन्नूर (नगर बस्ती), कोल्लम (नगर बस्ती),
14	मध्य प्रदेश		ग्वालियर (नगर बस्ती), इंदौर (नगर बस्ती), भोपाल (नगर बस्ती), जबलपुर (नगर बस्ती), उज्जैन (नगर निगम)
15	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई (नगर बस्ती), पुणे (नगर बस्ती)	अमरावती (नगर निगम), नागपुर (नगर बस्ती), औरंगाबाद (नगर बस्ती), नासिक (नगर बस्ती), भिवंडी (नगर बस्ती), सोलापुर, (नगर निगम), कोल्हापुर (नगर बस्ती), वसई-विरार सिटी (नगर निगम), मालेगांव (नगर बस्ती), नांदेड वाघला (नगर निगम), सांगली (नगर बस्ती)
16	मेघालय		शिलांग
17	ओडिसा		कटक (नगर बस्ती), भूवनेश्वर (नगर बस्ती), राऊरकेला (नगर बस्ती)
18	पुद्दुचेरी		पुद्दुचेरी (नगर बस्ती)
19	पंजाब		अमृतसर (नगर बस्ती), जालंधर (नगर बस्ती), लुधियाना (नगर निगम)
20	राजस्थान		बीकानेर (नगर निगम), जयपुर (नगर निगम), जोधपुर (नगर बस्ती), कोटा (नगर निगम), अजमेर (नगर बस्ती)
21	तमिलनाडु	चेन्नई (नगर बस्ती)	सलेम (नगर बस्ती), तिरूप्पु (नगर बस्ती), कोयंबटूर (नगर बस्ती), तिरूचिरापल्ली (नगर बस्ती), मदुरै (नगर बस्ती), इरोड (नगर बस्ती)

22	उत्तर प्रदेश		मुरादाबाद (नगर निगम), मेरठ (नगर बस्ती), गाजियाबाद (नगर बस्ती), अलीगढ़ (नगर बस्ती), आगरा (नगर बस्ती), बरेली (नगर बस्ती), लखनऊ (नगर बस्ती), कानपुर (नगर बस्ती), इलाहाबाद (नगर बस्ती), गोरखपुर (नगर बस्ती), वाराणसी (नगर बस्ती), सहारनपुर (नगर निगम), नोएडा (सिटी), फिरोजाबाद (एनपीपी), झाँसी (नगर बस्ती)
23	उत्तराखण्ड		देहरादून (नगर बस्ती)
24	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (नगर बस्ती)	आसनसोल (नगर बस्ती), सिलिगुढ़ी (नगर बस्ती), दुर्गापुर (नगर बस्ती)

शहरों/कस्बों का उपरोक्त वर्गीकरण, 7वें वेतन आयोग के अनुसार एचआरए के भुगतान के लिए भारतीय शहरों/कस्बों के साथ सम्बद्ध किये जा रहे। हालाँकि, बाद के वेतन आयोगों द्वारा वर्गीकरण के अनुसार इसमें संशोधन किया जाएगा। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और गुडगांव में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर दिल्ली (X वर्ग का नगर) की दरें, जालंधर छावनी पर जालंधर (Y वर्ग का नगर) की दरें, शिलांग, गोवा और पोर्ट ब्लेयर पर Y वर्ग नगर की दरें, चंडीगढ़ (Y वर्ग का नगर) के समान पंचकुला, एस एएस नगर (मोहाली) के लिए एचआरए जारी रखने के बारे में विशेष आदेश तथा इस मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2014-ई।।(बी) के पैरा 4, दिनांक 03 फरवरी, 2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/2/2016-ई।।(बी) तथा दिनांक 15.07.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/5/2017-ई।।(बी) के अंतर्गत जो अनुमति दी गई थी, वह अनुमति अगले आदेश तक जारी रहेगी।

<u>अनुसूची-IV</u>

निधि प्रवाह क्रियाविधि

(1) अनुबंध I की अनुसूची IV के खंड 1 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

1. भुगतान जारी करने की अनुसूची बशर्ते कि अंतिम किस्त तैनाती/रोजगार के 100% डैस्क सत्यापन तथा तैनात उम्मीदवारों के 1-5% नमूना आकार का वास्तविक सत्यापन किया गया हो। प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात तैनाती/रोजगार के लिए अधिकतम सीमा 6 माह है।

(2) अनुबंध-I की अनुसूची IV के निम्नलिखित उप-खंडों 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2 तथा 2 को उप-खंड 1.1, 1.2 और 2 के स्थान पर जोड़ा जाएगा, नामत:

1.1 बैच मोड/परियोजना मोड/संयुक्त शिक्षुता/एम्बेडेड शिक्षुता हेतु धनराशि जारी की जा सकती है। प्रशिक्षण प्रदाताओं को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार धनराशि जारी की जानी चाहिए:

1.1.1 **बैच मोड** में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों/प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु भुगतान मानदंड

क्र.सं.	**किस्त**	**किस्त का % (बैच का)**	**उपलब्धि के मानक**
1.	पहली	30%	प्रशिक्षण शुरू होने पर
2.	दूसरी	40%	सफल प्रमाणन होने पर (अग्रिम भुगतानों को समायोजित करने के

			बाद प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए भुगतान)
3.	तीसरी	30%	70% सत्यापित रोजगार पर (3 महीने-डेस्क का सतत रोजगार और मानक मानदंडों के अनुसार सत्यापित तैनाती)

1.1.2 **परियोजना मोड** में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों/प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु भुगतान मानदंड

क्र.सं.	**किस्त**	**किस्त का % (परियोजना लागत का)**	**उपलब्धि के मानक**
1.	पहली	25%	एमओयू हस्ताक्षर करने तथा प्रशिक्षण केंद्र की पहचान करने पर
2.	दूसरी	25%	20 % प्रशिक्षण पूरा होने तथा 7% सत्यापित तैनाती के आकलन पर
3.	तीसरी	25%	60 % प्रशिक्षण पूरा होने तथा 25% सत्यापित तैनाती के आकलन पर
4.	चौथी	25%	100 % प्रशिक्षण पूरा होने तथा 70% सत्यापित तैनाती के आकलन पर

1.1.3 **संयुक्त शिक्षुता** में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों/प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु भुगतान मानदंड

संयुक्त शिक्षुता को शिक्षुता (प्रतिष्ठानों में जॉब के साथ प्रशिक्षण) के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ क्रमबद्ध मोड में प्रस्तुत किए जाएंगे।

क्र.सं.	**किस्त**	**किस्त का % (परियोजना लागत का)**	**उपलब्धि के मानक**
1.	पहली	30%	प्रशिक्षण शुरू होने पर
2.	दूसरी	40%	सफल प्रमाणन होने पर (अग्रिम भुगतानों को समायोजित करने के बाद प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए भुगतान)
3.	तीसरी	20%	3 महीने-डेस्क का सतत रोजगार और मानक मानदंडों के अनुसार सत्यापित तैनाती
4.	चौथी	10%	6 महीने-डेस्क का सतत रोजगार और मानक मानदंडों के अनुसार सत्यापित तैनाती

1.1.4 एम्बेडेड शिक्षुता में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों/प्रशिक्षण प्रदाताओं हेतु भुगतान मानदंड, जबकि एम्बेडेड शिक्षुता, जिसके अंतर्गत उम्मीदवार, नियोजकों तथा एसएससी/प्रशिक्षण भागीदार के बीच हुए अनुबंध के अनुसार, बुनियादी प्रशिक्षण तथा जॉब के साथ प्रशिक्षण एक साथ या एक के बाद एक ले सकते हैं, के रूप में परिभाषित किया गया है।

क्र.सं.	किस्त	किस्त का % (बैच का)	उपलब्धि के मानक
1.	पहली	30%	प्रशिक्षण शुरू होने पर
2.	दूसरी	60%	एम्बेडेड शिक्षुता सहित सफल प्रमाणन होने पर (अग्रिम भुगतानों को समायोजित करने के बाद प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए भुगतान)
3.	तीसरी	10%	3 महीने के बाद प्रमाण-डेस्क की सतत एम्बेडेड शिक्षुता और मानक मानदंडों के अनुसार सत्यापित तैनाती

1.2 उपर्युक्त भुगतान अनुसूची निम्नलिखित का विषय है:

(i) यह केवल नव प्रशिक्षण के लिए लागू है।

(ii) ड्रॉपआउट को दूसरी तथा बाद की किस्तों के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा। ड्रॉपआउट की पहली किस्त का भुगतान अगली किस्त में समायोजित किया जाता है।

2. किस्त का भुगतान की गई तैनाती से संबद्ध है जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र.सं.	तैनाती उपलब्धि	भुगतान तैनाती से संबद्ध है
1.	70%	100% (पूरी किस्त तैनाती भुगतान से संबद्ध है)
2.	40-70%	यथानुपात आधार पर
3.	40% से कम	शून्य (कोई भुगतान नहीं), स्कीम दिशा-निर्देशों के अनुसार दंड

3. निर्धारित परिणामों से अधिक की प्राप्ति करने वाले प्रशिक्षण प्रदाता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए:

(i) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए, जहां परिणाम उपलब्धि 70% से 85% अधिक है, प्रशिक्षण प्रदाता को प्रति उम्मीदवार 3000/- रुपए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

(ii) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए, जहां परिणाम उपलब्धि 85% से अधिक है, प्रशिक्षण प्रदाता को प्रति उम्मीदवार 5000/- रुपए अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए।

सुनीता सांघी, प्रधान सलाहकार

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, 11th November, 2020

F.No. H-22011/2/2014-SDE (Vol-IV).— In exercise of the powers conferred by Clause 4 of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 concerning Common Norms for Skill Development Schemes of the Government of India, the Common Norms Committee constituted for the purpose makes the following changes further to amend the Schedules of Annexure-I of the Notification No. H-22011/2/2014-SDE-I dated 15.07.2015 as subsequently amended dated 20.05.2016, 28.02.2017 and 31.12.2018, namely:-

1. These amendments may be called Common Norms for Skill Development Schemes Fourth Amendment, 2020 and with effect from 11 November, 2020.

<u>Amendments:</u>

SCHEDULE-I

1. Base Cost

1.1 The Base Cost for different Sectors will be as under with effect from 01.04.2019:

(i) Rs. 46.70/- per hour of training for trades/sectors listed in Category I of SCHEDULE-II.

(ii) Rs. 40.00/- per hour of training trades/sectors listed in Category II of SCHEDULE-II.

(iii) Rs. 33.40/- per hour of training trades/sectors listed in Category III of SCHEDULE-II.

Costs would be subject to a periodic enhancement of 10% annually or as decided by the Common Norms Committee provided minimum duration between any 2 revisions would be at least six months.

2. Transport Costs

2.1 For candidates from Special Areas, as defined in Clause 5.1 of Schedule I and Persons with Disabilities undergoing training outside of such Special Areas, to and fro transport cost as per actual, subject to a maximum of Rs.5000/- per trainee, may be payable.

3. Boarding and Lodging Costs

For:

(a) Residential training, and/or

(b) In respect of all skill development training programmes where trainees from Special Areas (as defined herein) are trained outside these Special Areas, and/or

(c) Training programmes, anywhere in the country where women trainees have to travel more than 80 kms from their homes to reach the nearest training centre and who are availing of boarding and lodging arrangements made for them.

Ministries will reimburse Boarding & Lodging Costs up to a maximum per trainee per day as per table below:

i.	X Category Cities/ Town per day Trainee	Rs.375/-
ii.	Y Category Cities/Town per day Trainee	Rs.315/-
iii.	Z Category Cities/Town per day Trainee	Rs.250/-
iv.	Rural Areas and any Area not notified as a municipal/town area	Rs.220/-

(The List of categories of cities is given at SCHEDULE-III)

4. Third Party Certification & Assessment Costs

4.1 To ensure independent and unbiased assessment and certification of trained candidates, costs for certification and assessment shall be payable to an independent third party authorized for conducting assessments and certifications. This amount shall be over above the Base Cost, and shall range from Rs. 600/- to Rs. 1500/- per candidate as decided by individual Ministries/Departments.

5. Additional Support for Special Area/Groups

5.1 Training in Special Areas: Over and above the Base Cost, an additional amount equal to 10% of the Base Cost should be permitted for Skill Development programmes conducted in the North Eastern States, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Andaman & Nikobar Island, Lakshadweep and districts affected by Left Wing Extremism (LWE) as identified by the M/O Home Affairs for the Integrated Action Plan (hereinafter referred to as "Special Areas").

5.2 All Persons Below Poverty Line (BPL), Persons with Disabilities and Women candidates, shall be referred to as "Special Groups". A Central Ministry/Department can include any target group as "Special Group" to facilitate such groups under its programme(s). Upon successful completion of non-residential skill training programmes, and after certification, the Special Groups will be reimbursed the cost incurred in travelling to and from the training centre as under:

(i) For Persons Below Poverty Line (BPL) and women candidates at the following rates:

Reimbursement of Conveyance Costs per month	Amount (in Rs.)
1) Training Centre within District of domicile	1000/-
2) Training Centre outside District of domicile	1500/-

(ii) For Persons with Disabilities:

Lump sum payment as per the specifics of the Scheme of the concerned Ministry/ Department.

5.3 Post Placement Support for Special Areas/Groups for wage employment: In order to enable the newly skilled persons from Special Areas/Groups to settle into their jobs/vocations under wage employment, post placement support would be provided directly to the candidate at the rate of Rs. 1500/- per month for the following durations:

Post Placement Support @ Rs. 1500/- per month	Men	Women
1) Placement within District of domicile	1 month	2 month
2) Placement outside District of domicile	2 month	3 months

Provided that the post placement support for Persons with Disabilities will be provided at the rate of Rs.3000/- per month as under:

Post placement support @ Rs. 3000/- per month	Men/Women
(i) Placement within District of domicile	2 months
(ii) Placement outside District of domicile	3 months
(iii) Placement outside State of domicile	6 months

Provided the placement is made within three months of certification and after post validation of placement of the candidate.

5.4 Training for Persons with Disability (PwD): The additional support for imparting skill development training to persons with disabilities shall be as under:

(i) 10% over and above the base cost for Orthopedically Handicapped/Physically Handicapped;

(ii) 20% over and above the base cost for visually Impaired/Hearing Impaired; and

(iii) 25% over and above the base cost for intellectual & learning disabilities, mental illness/mental retardation.

Provided that in case of training of persons with disabilities in Special Areas, an additional amount equal to 10% over and above the base costs provided under Clause 5.4 (i) to (iii) shall be admissible. At least 3% of total training done by every Ministry in each year shall be reserved for persons with disabilities, in trades as decided by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment in conjunction with the MSDE.

5.5 Support for uniforms for Persons with Disabilities undergoing skill development training shall be made as per the specific provisions of the scheme of the concerned Ministry/ Department.

5.6 An amount of Rs. 5000/- per PwD candidate towards personal assistive aids such as wheel chairs, calipers, hearing aids and software such as Jawa/ other speech interpretation, other reading software etc. shall be provided.

5.7 An amount of Rs. 5000/- per PwD candidate towards job outreach activities (including job melas, employers outreach programme) shall be provided.

6. International Skill Training Centres offering skill development to Indians seeking jobs overseas, involving pre-departure orientation training, course content of the domain training with international benchmark, international certification with Indian Certification Agencies, shall be granted the following:

(i) Incentive at the rate of Rs. 10,000 per trainee to training partners for placement of candidates in foreign countries;

(ii) Assessment and Certification costs at the provisional rate of Rs. 3,500 per trainee. NSDC to discover costs through a transparent process;

(iii) Pre-departure orientation training at the base cost applicable to Category – III.

SCHEDULE-II

List of Trades as per the Cost Category Prescribed

Sl.No.	Industry /Sectors	Sub-Sector/Trades		
		Category-I	Category-II	Category-III

1.	Agriculture	Farm Machinery, Animal Husbandry, Farm Mechanisation, Precision framing, Fisheries and allied Sector	Agriculture, Plantation, Horticulture Floriculture Poultry	Apiculture, Home Decor Art-Bonsai, Flower, water fall; Minor Forest Product processing and value addition, Natural Fibre product processing and value addition (Sericulture, Jute, Cotton, hemp and Diversified Products)
2.	Apparel	Garment Manufacturing, Fashion Design	Garment making	
3.	Automotive	Manufacturing, Automotive repair	Automotive Sales	
4.	Beauty & Wellness		Spa and Wellness, Beauty Culture & Hair Dressing, Naturopathy	Home Décor Art Mehandi
5.	BFSI			Banking, Accounting, Insurance
6.	Capital Goods	Fabrication, Electro-Mechanical		
7.	Chemicals	Manufacture of Chemicals and bio-Chemicals Plastics Processing	Fragrance Flavour & Perfume	
8.	Construction	Construction Equipment, Fabrication	Paint, Wood Works, Bamboo Fabrication Carpentry	
9.	Education & Skill Development		Education, Skill Development	Counseling Skills
10.	Electronics	Electronics System Design, and Manufacture Refrigeration and Air Conditioning	Consumer Electronics- Sales & Service	
11.	Fast Moving Consumer Goods			Fast Moving Consumer Goods
12.	Food Processing Industries	Food Processing Sectors		Food Processing Sectors such as Dairy Products, Fruits & Vegetable Products, Cereals and Cereal Products, Food Grain (including milling), Edible Oil and Fats, Meat and Meat Products, Fish and Fish Products, Sweets and Confectionery, Bread and Bakery, Spices and Condiment, Beverage, Aerated Water and Soft Drinks, Packaging of food products
13.	Furniture & Furnishing		Furniture Making	
14.	Gems & Jewellery	Gems & Jewellery Manufacturing		Home Décor Art Jewellery
15.	Green Skills	Renewable energy		Rain Water Harvesting, Green retail,

				Allied green skills
16.	Handloom & Handicrafts	Handlooms	Brassware, Khadi, Carpet, Handicrafts	Handmade Paper and Paper Products, Home décor art Ceramic Painting, Home Décor Art Wood
17.	Healthcare	Medical and Nursing Healthcare-Machine Technician	Community Healthcare, Healthcare-Assistants, Preventive Healthcare (including Nutrition & Health Education and Health Counseling)	Allied Healthcare,
18.	Instrumentation	Process, Instrumentation		
19.	Iron & Steel	Foundry (Including Sponge Iron)		
20.	IT-ITES		Information and Communication technology	
21.	Leather	Leather Footwear & Leather Sports Goods Manufacture		
22.	Life Science	Manufacturing of Pharmaceuticals	Pharmaceutical Sales	
23.	Logistics			Courier & Logistics
24.	Management			Materials Management, Business & Commerce
25.	Manufacturing	Production & Manufacturing		
26.	Marine Engineering	Marine Engineering, Ship Construction		
27.	Media & Entertainment	Animation	Production Support, Media, Printing	Film Production
28.	Mining	Mining		
29.	Music	Musical instrument Manufacture	Instrumental Music service	
30.	Plumbing	Plumbing		
31.	Power & Energy	Electrical Industrial Electrician	Domestic Electrician	
32.	Retail		Store Operation, FMCG	Retail
33.	Rubber	Manufacturing	Rubber , Nursery/Plantation	
34.	Security		Security, Fire & Safety Engineering	
35.	Sports	Sports Goods Manufacture	Sports service	
36.	Telecom	Network & Infrastructure, Management	Telecom Service Provider, Handset Sales & Service	
37.	Textile	Spinning, Weaving, Textiles, Knitting &		

		Processing for cotton, other Manmade & Synthetic Fibres		
38.	Tourism & Hospitality	Food Production, Cooking	Hospitality, F&B Service & Housekeeping	Travel & Tourism
39.	Traditional / Conventional Sectors	Glassware	Painting Toy Making	Clock and watch Repair
40.	Other Sectors	Any Trade not covered in any of the categories above	Any trade not covered in any of the categories above	Any trade not covered in any of the categories above

SCHEDULE-III

(1) The following shall be substituted in Schedule III of Annexure I:-

Categorization of Indian cities for Residential Training Costs

S. No.	State	Cities classified as "X"	Cities classified as "Y"
1.	Andhra Pradesh/Telangana	Hyderabad (UA)	Vijayawada (UA), Warangal (UA), Greater Visakhapatnam (M.Corpn.), Guntur (UA), Nellore (UA)
2.	Assam	-	Guwahati (UA)
3.	Bihar	-	Patna (UA)
4.	Chandigarh	-	Chandigarh (UA)
5.	Chhattisgarh	-	- Durg-Bhilai Nagar (UA), Raipur (UA)
6.	Delhi	Delhi (UA)	
7.	Gujarat	Ahmadabad (UA)	Rajkot (UA), Jamnagar (UA), Bhavnagar (UA), Vododara (UA), Surat (UA)
8.	Haryana	-	Faridabad (M.Corpn.), Gurgaon (UA)
9.	Himachal Pradesh	-	-
10.	Jammu & Kashmir	-	Srinagar (UA), Jammu (UA)
11.	Jharkhand	-	Jamshedpur (UA), Dhanbad (UA), Ranchi (UA), Bokaro Steel City (UA)
12.	Karnataka	Bengalore/Bengaluru (UA)	Belgaum (UA), Hubli-Dharwad (M.Corpn.) Mangalore (UA), Mysore (UA), Gulbarga (UA)
13.	Kerala	-	Kozhikode (UA), Kochi (UA), Thiruvanathapuram (UA), Thrissur (UA), Malappuram (UA), Kannur (UA), Kollam (UA)
14.	Madhya Pradesh	-	Gwalior (UA), Indore (UA), Bhopal (UA), Jabalpur (UA), Ujjain (M.Corpn.)
15.	Maharashtra	Greater Mumbai (UA), Pune (UA)	Amravati (M.Corpn.), Nagpur (UA), Aurangabad (UA), Nashik (UA), Bhiwandi (UA), Solapur (M.Corpn.), Kolhapur (UA),

			Vasai-Virar City (M.Corpn.), Malegaon (UA), Nanded-Waghala (M.Corpn.), Sangli (UA)
16.	Meghalaya	-	Shillong
17.	Odisha	-	Cuttack (UA), Bhubaneswar (UA), Raurkela (UA)
18.	Puducherry (Pondicherry)	-	Puducherry/Pondicherry (UA)
19.	Punjab	-	Amritsar (UA), Jalandhar (UA), Ludhiana (M.Corpn.)
20.	Rajasthan	-	Bikaner (M.Corpn.), Jaipur (M. Corpn), Jodhpur (UA), Kota (M. Corpn.), Ajmer (UA)
21.	Tamil Nadu	Chennai (UA)	Salem (UA), Tiruppur (UA), Coimbatore (UA), Tiruchirappalli (UA), Madurai (UA), Erode (UA)
22.	Uttar Pradesh	-	Moradabad (M.Corpn.), Meerut (UA), Ghaziabad (UA), Aligarh(UA), Agra(UA), Bareilly (UA), Lucknow (UA), Kanpur (UA), Allahabad (UA), Gorakhpur (UA), Varanasi (UA), Saharanpur (M.Corpn.), Noida (CT), Firozabad (NPP), Jhansi (UA)
23.	Uttarakhand	-	Dehradun (UA)
24.	West Bengal	Kolkata (UA)	Asansol (UA), Siliguri (UA), Durgapur (UA)

(The above categorization of cities/town being adopted from the categorization of Indian cities/towns for payment of HRA as per 7th Pay Commission. However, the same shall get amended as per the categorization by subsequent Pay Commissions.). Special orders on continuance of HRA at Delhi ("X" class city) rates to Central Government employees posted at Faridabad, Ghaziabad, NOIDA and Gurgaon, at Jalandhar ("Y" class city) rates to Jalandhar Cantt., at "Y" class city rates to Shillong, Goa & Port Blair and HRA at par with Chandigarh ("Y" class city) to Panchkula, S.A.S Nagar (Mohali) which have been allowed to continue vide Para '4' of Ministry of Finance, Department of Expenditure's O.M. No. 2/5/2014-E.II(B) dated 21.07.2015, O.M. No. 2/2/2016-E.II(B) dated 03.02.2017 and OM No. 2/5/2017-E II(B) dated 15.07.2019 shall continue till further orders.

SCHEDULE-IV

Fund Flow Mechanism

(1) For Clause 1 of Schedule IV of Annexure I, the following shall be substituted:

1. Schedule of release of payments provided the last tranche is released based on 100% Desk verification for placement/ employment and physical verification of sample size of 1-5% of placed candidates. The upper ceiling for placement/employment is 6 months after training completion.

(2) The following sub-clause 1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.2 and 2 shall be added in place of sub-clause 1.1, 1.2 and 2 of Schedule IV of Annexure I, namely:-

1.1 The release of funds could be for batch mode/project mode/paired apprenticeship/embedded apprenticeship. The funds should be released to the Training Providers as per the following schedule:

1.1.1 Payment Norms for Project Implementing Agencies/ Training Providers in **Batch Mode**

Sl. No.	Installments	% of Installment (of Batch)	Milestone
1.	1st	30%	On Training Commencement.
2.	2nd	40%	On completion of successful certification (Payment made for number of candidates certified after adjusting the advance payments)
3.	3rd	30%	On 70% verified employment (Continuous employment of 3 months-desk and verified placement as per standard norms).

1.1.2 Payment Norms for Project Implementing Agencies/ Training Providers in **Project Mode**

Sl. No.	Installment	% of Installment (of Project Cost)	Milestone
1.	1st	25%	On Signing of MoU & Identification of Training center
2.	2nd	25%	On 20 % Training completion and assessment with 7% of verified placement
3.	3rd	25%	On 60 % Training completion and assessment with 25% of verified placement
4.	4th	25%	On 100 % Training completion and assessment with 70% of verified placement

1.1.3 Payment Norms for Project Implementing Agencies/ Training Providers in **Paired Apprenticeship:**

Paired apprenticeship may be defined as Apprenticeship (on-the-job training with the establishment) shall be offered in sequential mode with various courses.

S. No	Installment	% of Installment (of Project Cost)	Milestone
1.	1st	30%	On Training Commencement.
2.	2nd	40%	On completion of successful certification (Payment made for number of candidates certified after adjusting the advance payments)
3.	3rd	20%	On Continuous Apprenticeship of 3 months-desk and physically verified as per standard norms
4.	4th	10%	On Continuous Apprenticeship of 6 months-desk and physically verified as per standard norms

1.1.4 Payment Norms for Project Implementing Agencies/ Training Providers in Embedded Apprenticeship whereas Embedded Apprenticeship is defined as the one under which the candidates can undertake basic training and on-the-job training either simultaneously or one after the other, in accordance with the arrangement between employer and SSC/ training partner.

Sl. No.	Installments	% of Installment (of Batch)	Milestone
1.	1st	30%	On Training Commencement.
2.	2nd	60%	0n completion of successful certification inclusive of embedded apprenticeship. (Payment made for number of candidates certified after adjusting the advance payments)
3.	3rd	10%	On Continuous Embedded Apprenticeship of 3 months post certification-desk and physically verified as per standard norms.

1.2 The above payment schedule is subject to the following:

(i) It is applicable only for fresh training.

(ii) The dropouts will not be considered for 2^{nd} and subsequent tranches. The 1^{st} tranche payment of the dropouts is adjusted in next tranche.

2. Payment of tranche/installment linked to placement is done as tabulated below:

Sr. No.	Placement Achievement	Payout Linked to Placement
1.	70%	100% (Full Tranche/installment linked to placement payout)
2.	40-70%	Pro-rata basis
3.	Below 40%	Nil(No Payment), penalty as per scheme guidelines

3. In order to encourage the Training Provider who exceed the prescribed outcomes, the following additional incentives should be provided:

(i) For every candidate, where outcome achievement is above 70% to 85%, the Training Provider should be paid an additional amount of Rs.3000/- per candidate.

(ii) For every candidate where outcome achievement is above 85%, the Training Provider should be paid an additional amount of Rs.5000/- per candidate.

SUNITA SANGHI, Principal Adviser

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.